

न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश चमोली।
विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 25 / 2022
उत्तराखण्ड राज्य प्रति सुरेन्द्र सिंह।

16.11.2023

वाद पुकारा गया। पुकार पर राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) श्री मोहन पन्त उपस्थित आए।

अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह अनुपस्थित हैं। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री किशन सिंह फर्स्वाण उपस्थित आये, उनके द्वारा अभियुक्त का हाजरी माफी प्रार्थना पत्र 78ख प्रस्तुत किया गया। आज हेतु स्वीकार किया जाता है।

पीठासीन अधिकारी अवकाश पर हैं तिथि मुलतवी की जाती है।
पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 18.12.2023 को पेश हो।

प्रभारी विशेष सत्र न्यायाधीश,
चमोली।